राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "घर जाकर तलाश किया, बाहर जाना पता चला", मौके पर फरारी पंचनामा तैयार किया गया।

वारंट के साथ फरारी पंचनामा इस आशय का प्राप्त कि साक्षी मुकेश एवं लवकुश के समक्ष आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी की ग्राम गुमारा थाना—मौ में उसके घर पर तलाश किये जाने पर नहीं मिला, बाहर गया हुआ होना बताया। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी दिनांक : 06/12/2016 से प्रकरण में अकारण अनुपस्थित है। उपरोक्त टीप से यह दर्शित होता है कि आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए फरार हो गया है और उनके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थाई वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी की उपस्थिति के स्थाई वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी के उपस्थित होने तक अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये कि प्रकरण में आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी फरार है, इसलिए अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।